



2026:AHC-LKO:4799-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 586 सन 2026**

नरेश कुमार एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनामउत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग
लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	रविशंकर तिवारी, राकेश कुमार वर्मा, शिव पाल सिंह, विश्वकांत श्रीवास्तव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्रीनिवास बाजपेयी

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. अधिवक्ता श्री सतीश चंद्र 'कशिश' ने अधिवक्ता श्री श्रीनिवास बाजपेयी के साथ वकालतनामा दाखिल करके प्रतिवादी संख्या 3-नगर पालिका परिषद, सीतापुर की ओर से पेशी दी।
2. सुनवाई हुई।
3. प्रतिवादी संख्या 3-नगर पालिका परिषद, सीतापुर के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश चंद्र 'कशिश' ने कहा कि इस याचिका में चुनौती दी गई सूचना वापस ले ली गई है और एक नई सूचना जारी की गई है, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि शंकर तिवारी को दी गई है।
4. बाद के घटनाक्रमों को देखते हुए याचिका का निस्तारण किया जाता है क्योंकि इस कार्यवाही में अब कुछ भी निर्णय के लिए शेष नहीं है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]**[न्यायमूर्ति राजन रॉय]****अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 21, 2026

एम.वी.एस./-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।